

29.5.24

प्रजावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ऊपस्थित हुए।
प्रकरण लम्बे समय के संशोधित वाद पेश होने हेतु कई
अवसर दिए गए। गमा हे वावजूद इसके संशोधित
वाद प्रस्तुत नहीं किए गए। न्यायालय द्वारा ऊ-
ऊपर कई बार आवाज लगावते गते वावजूद
इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

अतः वादी का वाद ~~स्वीकृत~~ आदेश 9 नियम 8

के तहत अदम होजये। अदम घरेली में खरिज किया जाना
है जिनके तरे इजलास पुनामा गमा प्रकरण कैसल -
शुमा होस नम्बर से कम है।

(रिया डानी)

DAS

